न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—443/2019/223 (2019/00443)

1. धापू पुत्री स्व0 हिमता,
2. श्रीमती छोटी पुत्री स्व0 हिमता,
समस्त जाति चीता, निवासी ग्राम रातीडांग, तह0 व जिला अजमेर ।

अपीलांटस

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र हरजीराम, जाति तंवर, निवासी मं.न. 78, मित्रनगर रातीडांग, तहसील व जिला अजमेर ।
2. श्रीमती फूल कंवर पत्नि रामचन्द्र, जाति तंवर, निवासी म.नं. 78, मित्रनगर रातीडांग, तहसील व जिला अजमेर ।
3. श्रीमती गुलाब देवल पत्नि एन.आर.देवल, जाति चारण, निवासी माधव नगर, माकड़वाली रोड़, अजमेर ।
4. मोहनलाल पुत्र चन्दरसिंह राजपुरोहित, जाति ब्राहमण, नि0 लोहाखान, नई बस्ती, सर्वेश्वर नगर, अजमेर ।
5. उमेश जोशी पुत्र सूरजनारायण जोशी, जाति ब्राहमण, निवासी बड़ी बस्ती पुष्कर, तहसील व जिला अजमेर ।
6. रामजीलाल अग्रवाल पुत्र रामनाथ अग्रवाल, निवासी ग्राम भैरून्दा, तहसील डेगाना, जिला नागौर ।
7. रामप्रकाश अग्रवाल पुत्र रामनाथ अग्रवाल, निवासी ग्राम भैरून्दा, तहसील डेगाना, जिला नागौर ।
8. श्रीमती शशि देपाल पत्नि सतीश देपाल, नि0 शाहपुरा मौहल्ला, ब्यावर, तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
9. श्रीमती शकीना पत्नि भैरू,
10. साजन पुत्र भैरू, नाबालिग जरिये प्राकृतिक सरंक्षिका माता शकीना पत्नि भैरू,
11. यूसुफ पुत्र भैरू, नाबालिग जरिये प्राकृतिक सरंक्षिका माता शकीना पत्नि भैरू
12. आमना पुत्री स्व0 भैरू,
13. जब्बा पुत्री स्व0 भैरू,
14. हसीना पुत्र स्व0 भैरू,
15. महरून पुत्री स्व0 भैरू,
16. अल्ला पुत्री स्व0 भैरू,
17. श्रीमती बिस्मिल्ला पत्नि स्व0 रहमान,
18. साबरा उर्फ बाया पुत्री रहमान,
19. जरीना पुत्री रहमान,
20. मस्तान खां पुत्र रहमान
21. गन्नी खां पुत्र रहमान,
22. सलीम खां पुत्री रहमान,
23. सोहनी पत्नि स्व0 अमरूदीन,
समस्त जाति चीता, निवासी रातीडांग, तह0 व जिला अजमेर ।
24. रामकिशन पुत्र सहत्रराम, जाति सिंधी, निवासी नौसर, तहसील व जिला अजमेर ।
25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 4.8.2011 अंतर्गत वाद संख्या 25/2011.

उपस्थितः—

1. श्री मदनलाल गुर्जर, वकील अपीलांटस ।
2. रेस्पो0 संख्या 1 से 24 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः—04.02.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के निर्णय व डिक्री दिनांक 4.8.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद वास्ते बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम नौसर तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित आराजी खसरा नंबर 184 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा में 2/3 हिस्सा व खसरा नंबर 225 रकबा 6 बिस्वा 10 बिस्वांसी संपूर्ण स्थित है, में अपीलांटस के हिस्से की आराजियात को रेस्पो0 से पृथक करते हुए बाई मिट्अस एण्ड बाउण्डस बंटवारा किया जावे । प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये । प्रतिवादीगण ने अधी0न्याया0 के समक्ष उपस्थित होकर वकालतनामा मय प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश किया । अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 4.8.2011 द्वारा खसरा नंबर 184 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि की धारा 90—बी की कार्यवाही होने से सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से खसरा नंबर 184 को वाद से तर्क करने का आदेश पारित किया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।
3. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष दिनांक 1.2.2011 को राजस्व वाद मय धारा 212 राज0काश्त0अधि0 के प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसमें अधी0न्याया0 द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया था और समस्त रेस्पो0 को खसरा नंबर 184 व 225 दोनों बाबत् ही वादीगण/अपीलांटस के हिस्से तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया था तथा मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया गया था । वादपत्र में दिनांक 31.1.2011 की प्रमाणित जमाबंदी प्रस्तुत की गई थी जिस दिन किसी भी प्रकार का कोई धारा 90—बी का नोट या नामांतकरण दर्ज नहीं था ना ही ऐसा कोई आदेश अस्तित्व में था । इसके पश्चात् दिनांक 13.6.2011 को नामांतकरण संख्या 1039 द्वारा स्थगन आदेश के बावजूद नामांतकरण दर्ज करते हुए न्यायालय के आदेश की अवहेलना कारित की गई और न्यायालय द्वारा इस तथ्य को नहीं देखा गया कि स्थगन आदेश के बावजूद किस प्रकार नामांतकरण तस्दीक हो गया और अधी0 न्यायालय ने रेस्पो0 को लाभ पहुंचाने की नियत से बिना अपीलांटस को सुनवाई का अवसर दिये अपीलांटस का वाद खसरा नंबर 184 की हद तक खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 का यह निर्णय विधिविरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अपीलांटस द्वारा वादपत्र में अपने हिस्से की आराजियात बाबत् ही वाद प्रस्तुत किया गया था जिसमें अपीलांटस का 2/3 हिस्सा दर्ज है तथा 1/3 हिस्सा रामकिशन वल्द सहस्त्रराम, जाति सिंधी के नाम दर्ज है जो कि मात्र खसरा नंबर 184 में ही दर्ज है तथा खसरा नंबर 225

संपूर्ण वादीगण के नाम दर्ज है । ऐसी स्थिति में जो आदेश धारा 90–बी अधी0न्याया0 को पेश कर आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया वह मात्र खसरा नंबर 184 के 1/3 हिस्से तक ही मान्य हो सकता था, परन्तु अधी0न्याया0 ने बिना मस्तिष्क का प्रयोग किए ही वादीगण का वाद खसरा नंबर 184 की हद तक खारिज करने मे त्रुटि कारित की है । आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के तहत जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है उसमें रेस्पो0 द्वारा बिना जवाबदावा प्रस्तुत किए ही प्रार्थना पत्र पेश किया गया है । ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र संधारण योग्य नहीं था । नगर सुधार अधिनियम की धारा 90–बी के तहत जब तक पट्टे जारी नहीं हो जाते है तब तक किसी भी प्रकार का कन्चर्जन मान्य नहीं होता है । अधी0न्याया0 ने मात्र आदेश में दिनांक 26.8.2002 के निर्णय का हवाला देते हुए वादीगण के वाद को खसरा नंबर 184 की हद तक निरस्त करने मे त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे ।

4. हमनें अभिभाषक अपीलांटस की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । वादी अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष ग्राम नौसर तहसील व जिला अजमेर के खसरा नंबर 184 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा में 2/3 हिस्से व खसरा नंबर 225 रकबा 6 बिस्वा 10 बिस्वा संपूर्ण बाबत् वाद बाबत् बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा को पेश कर निवेदन किया कि अपीलांटस के हिस्से की आराजियात को रेस्पो0 से पृथक करते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा जावे । उक्त वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादीगण ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि वादवर्णित भूमि को नगर सुधार न्यास, अजमेर ने आबादी भूमि घोषित कर प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमती फूलकंवर पत्नि रामचंद्र के पक्ष में लीजडीड दिनांक 16.4.2003 एवं प्रतिवादी संख्या 3 श्रीमती गुलाब देवल पत्नि एन0आर0देवल के पक्ष में लीज डीड दिनांक 27.5.2003 को निष्पादित कर दी है । इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पक्ष में भी आबादी भूमि के आवंटन के लीज डीड नगर सुधार न्यास, अजमेर ने निष्पादित कर दी है । इस प्रकार विवादित भूमियों की प्रकृति कृषि भूमि से बदल कर आबादी भूमि हो गयी है । इस कारण आबादी भूमि के संबंध में कोई भी विवाद हो तो उसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर दीवानी न्यायालय को है । अधी0न्याया0 ने अपने आदेश दिनांक 4.8.2011 द्वारा वादग्रस्त खसरा नंबर 184 रकबा 1–14–00 ग्राम नौसर तहसील व जिला अजमेर की भूमि की 90–बी जारी होने से उक्त खसरा नंबर बाबत् श्रवणाधिकार नहीं मानकर खसरा नंबर 184 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा को वाद से तर्क किये जाने तथा शेष खसरा नंबर 225 रकबा 6 बिस्वा 10 बिस्वांसी बाबत् संशोधित वाद पत्र पेश किये जाने के आदेश पारित किये है । पत्रावली पर उपलब्ध नगर विकास न्यास, अजमेर द्वारा जारी पट्टा विलेख संख्या 4557 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि खसरा संख्या 184 की 90–बी होकर श्रीमती गुलाब देवल पत्नि एन0आर0देवल को पट्टा जारी किया जा चुका है । उक्त पट्टा विलेख से यह स्पष्ट है कि खसरा नंबर 184 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा भूमि की 90–बी होकर वर्तमान में नगर विकास न्यास, अजमेर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । विवादित आराजी खसरा नंबर 184 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा वर्तमान मे कृषि भूमि न होकर आबादी भूमि है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है । विद्वान अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् संवत् रूप से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर खसरा नंबर 184 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा को वाद से तर्क किये जाने तथा शेष खसरा नंबर 225 रकबा 6 बिस्वा 10 बिस्वांसी बाबत् संशोधित वादपत्र पेश करने के आदेश पारित किये है जो विधिसम्मत् आदेश है । उपरोक्त

विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

5. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4.8.2011 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

6. निर्णय आज दिनांक 04.02.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर